## न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी, पाली
## पीठासीन अधिकारी : नन्दकिशोर राजोरा, आर.ए.एस.

**राजस्व अपील : 85/2018**

| अपीलान्ट | बनाम | रेस्पोडेन्ट :– |
|---|---|---|
| मृत लालाराम पुत्र देवाजी जाति मेघवाल निवासी घाणेराव तहसील देसूरी के कायम मुकाम | | 1. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार देसूरी |
| 1. प्यारी देवी पत्नी लालाराम | | 2. जिला वन अधिकारी, वन विभाग, पाली |
| 2. लक्ष्मणराम पुत्र लालाराम | | 3. मुख्य वन्यजीव प्रतिपालक, देवाली, उदयपुर |
| 3. मंगीलाल पुत्र लालाराम | | 4. सचिव महोदय, राजस्थान वन विभाग |
| 4. समाराम पुत्र लालाराम | | |
| 5. जमना पुत्री लालाराम | | |

राजस्व अपील प्राधिकारी पाली

**अपील अन्तर्गत धारा 223 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955**

उपस्थित :–

श्री सुमेर सिंह राजपुरोहित, विद्वान अभिभाषक अपीलाण्ट सरकारी पैरोकार, रेस्पोडेन्ट्स की ओर से

**–: निर्णय :–**

दिनांकः– 01/09/2022

अपीलान्ट की ओर से उनके अधिवक्ता ने यह अपील अन्तर्गत धारा 223 राज काश्तकारी अधिनियम 1955 के तहत राजस्व वाद संख्या 31/2008 में लालाराम के एल. आर. बनाम राज्य सरकार में उपखण्ड अधिकारी देसूरी द्वारा पारित निर्णय एवं डिक्री दिनांक 11.05.2018 के विरूद्ध पेश की गई। अपील दर्ज रजिस्टर कर रेस्पोडेन्ट को जरिये सम्मन तलब किया गया। अधिनस्थ न्यायालय का रेकर्ड तलब किया गया। उभयपक्ष की बहस सुनी गई।

राजस्व अपील प्राधिकारी पाली

विद्वान अभिभाषक अपीलान्ट ने अपील बहस के दौरान अपील में वर्णित तथ्यो को दोहराते हुए कथन किया कि अपीलाण्ट द्वारा न्यायालय उपखण्ड अधिकारी देसूरी के समक्ष एक राजस्व वाद प्रस्तुत कर ग्राम घाणेराव के गत खसरा नम्बर 701 रकबा 8 बीघा नए खसरा नम्बर 1776 रकबा 1.28 हैक्टेयर भूमि अपीलाण्ट लालाराम को पुराना आधिपत्य होने के आधार पर नियमन आदेश संख्या 1629 दिनांक 13.12.1973 को नियमन की गई थी, जिसकी पालना में म्यूटेशन संख्या 1630 दिनांक 27.05.82 को स्वीकृत किया जाकर खातेदार दर्ज किया था। उपरोक्त म्यूटेशन अनुसार मौके पर काश्त व कब्जा लालाराम का होना प्रमाणित किया गया था। उपरोक्त म्यूटेशन सहायक भू–प्रबंध एवं सहायक भू–अभिलेख अधिकारी, जोधपुर द्वारा स्वीकृत किया गया था, क्योंकि तत्समय देसूरी में भू–प्रबंध का कार्य चल रहा था इसलिए म्यूटेशन स्वीकृति का अधिकार सहायक भू–प्रबंध अधिकारी को प्रदान किए गए थे। सेटलमेंट बाद उपरोक्त म्यूटेशन अनुसार नवीन जमाबंदी में अमल–दरामद किया जाना था, लेकिन अमल–दरामद नहीं कर उपरोक्त भूमि को वन विभाग के नाम दर्ज कर दी, जबकि मौके पर आज भी भूमि काश्त योग्य है और अपीलाण्ट्स ही बतौर खातेदार काबिज है, काश्त कर रहे हैं,

राजस्व अपील प्राधिकारी पाली

मातहत अदालत ने दिनांक 11.05.2018 को न्याय आपके द्वार राजस्व लोक अदालत कैम्प घाणेराव में प्रकरण की सुनवाई अपीलाण्ट लक्ष्मणलाल व मांगीलाल की उपस्थिति दर्ज करते हुए वाद को प्रिमैच्योर स्टेज पर ही बिना अपीलाण्ट्स को जानकारी दिए वाद का निस्तारण कर दिया।

भू–प्रबंध अर्थात सेटलमेन्ट अधिकारी को गत प्रविष्टी में बदलाव का विधिक रूप से कोई अधिकारी नहीं है। न तो किसी व्यक्ति की खातेदारी कम कर सकते है, न ही बढा सकते है, न ही किसी भूमि की किस्म चेंज कर सकते है। हस्तगत प्रकरण में नियमनशुदा भूमि प्रतिबंधित श्रेणी की नहीं थी इस कारण से विधि अनुसार नियमन की गई थी। भू–प्रबंध के दौरान गलत मिलान क्षेत्रफल बनाते हुए राजस्व रेकर्ड में गलत और त्रुटिपूर्ण इंद्राज कर दिए, जिस संबंध में ही अधीनस्थ न्यायालय में वाद पेश किया था और उसमें तनकी भी बनाई जानी शेष थी, रेस्पोडेण्ट्स की ओर से जवाबदावा पेश हो चुका था ऐसी स्थिति में तनकियात कायम किए बिना वाद का निर्णय संभव नहीं है। जो तथ्य साक्ष्य से ही सिद्ध हो सकते थे, उस संबंध में साक्ष्य प्रस्तुत करने का अवसर ही प्रदान नहीं किया, जबकि साक्ष्य प्रस्तुत करने का अपीलाण्ट्स का मौलिक अधिकार है औ बिना साक्ष्य प्रस्तुत किए अपीलाण्ट अपने वाद–पत्र में वर्णित तथ्यों को विधिनुसार साबित भी नहीं कर पाए।

राजस्व अपील प्राधिकारी पाली

गत नक्शे व वर्तमान नक्शे का मिलान कर सुपर इम्पोज किया जाए तो यह स्थिति स्पष्ट होगी कि गत खसरा नम्बर 701 में से जो 8 बीघा भूमि अपीलार्थी को नियमन की थी, उसके खसरा नंबर 1776 ही बने है, जिसे वाद के साथ संलग्न नक्शे में अ, ब, स, द मार्क से लाल रंग से दर्शाया गया है। उपरोक्त समस्त तथ्य साक्ष्य से ही सिद्ध हो सकते थे, लेकिन इस संबध में बिना साक्ष्य, सबूत, सुनवाई का अवसर प्रदान किए अवैध व मनमाने तरीके से अपीलाधीन निर्णय व डिक्री पारित किए है, लिहाजा अपील स्वीकार करावे एवं जैर अपील निर्णय एवं डिक्री को अपास्त कराते हुए अपीलाण्ट को वादस्थ भूमि का खातेदार घोषित करावे।

सरकारी पैरोकार ने अपनी बहस में कथन किया कि अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष अपीलाण्ट द्वारा जो वाद प्रस्तुत किया गया था, उसमें अधीनस्थ न्यायालय द्वारा विधिवत कार्यवाही एवं प्रक्रिया अपनाते हुए राजस्व लोक अदालत कैम्प में मजमें आम में कार्यवाही करते हुए जैर अपील निर्णय एवं डिक्री पारित की है, जो विधि सम्मत है। वादग्रस्त आराजी वर्तमान राजस्व रेकॉर्ड में वन भूमि के रूप में दर्ज है। जिस पर खातेदारी अधिकार प्रदान किया जाना उचित प्रतीत नहीं होता है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपने समक्ष प्रस्तुत दस्तावेजात् का पूर्ण अवलोकन कर जैर अपील निर्णय पारित किया गया है, जिसमें किसी प्रकार की विधिक त्रुटी नही है। अतः अपील खारिज करावे।

उभयपक्ष अभिभाषकगण की बहस पर मनन किया तथा उपलब्ध दस्तावेजात का अवलोकन किया। जैर अपील आदेश से सम्बन्धित पत्रावली का अवलोकन करने से यह प्रकट होता है कि अपीलाण्ट द्वारा एक वाद न्यायालय उपखण्ड अधिकारी देसूरी के समक्ष प्रस्तुत कर ग्राम घाणेराव के गत खसरा नम्बर 701 रकबा 8 बीघा नए खसरा नम्बर 1776 रकबा 1.28 हैक्टेयर की भूमि अपीलाण्ट लालाराम को पुराना आधिपत्य होने के आधार पर नियमन आदेश संख्या 1629 दिनांक 13.12.1973 को नियमन की गई थी, जिसकी पालना में म्यूटेशन संख्या 1630 दिनांक 27.05.82 को स्वीकृत किया गया था। सेटलमेंट बाद उपरोक्त म्यूटेशन अनुसार नवीन जमाबंदी में अमल–दरामद किया जाना था, लेकिन अमल–दरामद नहीं कर उपरोक्त भूमि को वन विभाग के नाम दर्ज कर दी, इस पर मातहत अदालत द्वारा वाद दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादी को जरिये नोटिस तलब किया। प्रतिवादी क्षेत्रीय वन अधिकारी देसूरी ने जवाब प्रस्तुत कर जाहिर किया कि वादग्रस्त आराजी प्रारम्भ से ही वन विभाग की सम्पति रही है, जिसे किसी भी व्यक्ति, संस्था या विभाग को आवंटित नहीं किया जा सकता। यदि राजस्थान सरकार द्वारा गलती

से इस भूमि को आवंटित कर भी दिया है, तो भी वादी को कोई अधिकार इस भूमि पर प्राप्त नही है, एवं खातेदारी प्रारम्भ से ही शून्य होने से किसी प्रकार के अधिकार वादीगण के हक में सृजित नहीं होते।

इसके पश्चात न्याय आपके द्वार राजस्व लोक अदालत कैम्प घाणेराव में जैर अपील निर्णय पारित करते हुए वादी का वाद खारिज किया। उक्त निर्णय से व्यथित होकर अपीलाण्ट ने इस न्यायालय के समक्ष अपील प्रस्तुत की है। अधिवक्ता अपीलाण्ट द्वारा अपील के समर्थन में मुख्य रूप से वादग्रस्त भूमि का अपीलाण्ट के पक्ष में नियमन होकर नामान्तरण दर्ज होना, वादग्रस्त आराजी को गलत तरिके से वनभूमि दर्ज करना एवं अपीलाण्ट को बिना सुनवाई का अवसर दिए, बिना तनकी कायम किए अधीनस्थ न्यायालय द्वारा न्याय आपके द्वार राजस्व लोक अदालत कैम्प में निर्णय पारित करना रेखांकित किया है।

अधिवक्ता अपीलाण्ट द्वारा रेखांकित किये गए तथ्यों के संदर्भ में अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली का परीक्षण किए जाने पर यह तथ्य प्रकट आए है कि अपीलाण्ट के पक्ष में वादग्रस्त आराजी को नियमन का नामांतरण सख्या 1630 दिनांक 27.05.1982 को दर्ज किया गया है। उक्त नामान्तरण की पालना में अग्रिम जमाबंदी बनाते वक्त उक्त नामान्तरण का अमल दरामद नही किया जाना प्रकट हुआ है। इस सम्बन्ध में न्यायिक प्रक्रिया अनुसार मातहत अदालत को विधि अनुसार तनकीयात कायम की जानी थी तथा उन पर साक्ष्य संग्रहित कर, उन साक्ष्यों के आधार पर तनकीवार विनिश्चय करते हुए निर्णय पारित किया जाना था, जो हस्तगत प्रकरण में नही किया गया तथा सीधे ही जवाब के पश्चात अधीनस्थ न्यायालय ने न्याय आपके द्वार लोक अदालत कैम्प घाणेराव में अपीलाण्ट लक्ष्मणराम व मांगीलाल की उपस्थिति में जैर अपील निर्णय पारित किया है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय में उपस्थित अपीलाण्ट की सहमति या असहमति का उल्लेख नहीं है। इस सम्बन्ध में माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा आर0सी0आर0 (सिविल) 2006(4) पेज 947 सहित विभिन्न निर्णयों में यह सिद्धान्त प्रतिपादित किया कि Legal Services Authorities Act 1987, Section 20- Power of disposal of cases by Lok Adalat- No order can be passed by Lok Adalat if no compromise or settlement is or could be arrived at between parties" इसका विस्तृत विवेचन इस प्रकार किया है कि "The specific language used in sub-section of Section 20 makes it clear that the Lok adalat can dispose of a matter by way of a compromise or

settlement between the parties, Two crucial terms in sub-section (3) and (5) of Section 20 are "compromise" and "settelment" The former expression means settlement of differences by mutual concessions. it is an agreement reached by adjustment of confficting or opposing claims by reciprocal modification of demands. As per Terms de la Ley, compromise is a mutual promise of two or more parties that are at controversy. As per Bouvier it is "an agreement between two or more persons, who to avoid a law suit, amicably settle their differences, on such terms as they can agree upon" The word "compromise" implies some element o accommodation on each side. it is not apt to describe total surrender. A compromise is always bilateral and means mutual adjustment. "Settelment" is a termination of legal proceedings by mutual consent. If no compromise or settlement is or could be arrived at no order and be passed by the Lok Adalat" इसी प्रकार एस0बी0सिविल रिट याचिका संख्या 9194/2016 में माननीय उच्च न्यायालय द्वारा निर्णय पारित करते हुए यह अभिमत प्रकट किया कि जब पक्षकारान् के मध्य राजीनामा अथवा सहमति नहीं हो, तो लोक अदालत के माध्यम से आदेश पारित किया जाना विधि सम्मत नहीं है। उक्त न्यायिक सिद्धान्तों से यह स्पष्ट है कि राजस्व लोक अदालत के माध्यम से निर्णय पारित करने हेतु दोनो पक्षों की उपस्थिति एवं उनमें राजीनामा होना आवश्यक है, बिना राजीनामे के लोक अदालत के तहत आदेश पारित किया जाना विधिसम्मत नहीं है। उक्त अभिनिर्णयों से हस्तगत प्रकरण पूर्णतया प्रभावित होता है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा समस्त अपीलांटगण को सुनवाई का अवसर दिये बिना न्याय आपके द्वार राजस्व लोक अदालत कैम्प कोर्ट में विधि विरूद्ध तरीके से जैर अपील आदेश पारित किया है। जो कि हाजा न्यायालय की राय में उचित प्रतीत नहीं होता है।

परिणाम स्वरूप अपीलाण्ट द्वारा प्रस्तुत अपील आंशिक स्वीकार की जाती है तथा सहायक कलक्टर एवं उपखंड अधिकारी देसूरी द्वारा राजस्व वाद संख्या 31/2008 बउनवान लालाराम के का. मु बनाम सरकार में पारित निर्णय दिनांक 11.05.2018 अपास्त किया जाकर प्रकरण इस निर्देश के साथ प्रतिप्रेषित किया जाता है कि अपीलांटगण को

राजस्व अपील प्राधिकारी
पाली

सुनवाई का विधिवत अवसर दिया जाकर पुनः विधिसम्मत निर्णय पारित करे। निर्णय की प्रमाणित प्रतिलिपि के साथ अधीनस्थ न्यायालय का रेकर्ड लौटाया जावे।

निर्णय आज दिनांक 01/09/2022 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर बाद हस्ताक्षर कर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(नन्दकिशोर राजोरा)
राजस्व अपील प्राधिकारी
राजस्व अपील प्राधिकारी,
पाली